रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012020-215630 CG-DL-E-22012020-215630

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

No. 2691

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 2020/माघ 1, 1941 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2020/MAGHA 1, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2020

का.आ. 280(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.— (1) इस आदेश को केबल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 कहा जाएगा।
- (2) यह आदेश दिनांक 01.08.2020 से प्रभावी होगा।
- 2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग.—निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-॥ की स्कीम-। के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिहन लगा होगा।

बशर्ते कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर इस आदेश से कुछ भी लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण.—भारतीय मानक ब्यूरो तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

391 GI/2020 (1)

तालिका

क्रम संख्या	वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक केबल	आईएस 1554 (भाग 1): 1988	पीवीसी इंस्लेटेड (हैवी ड्यूटी) इलेक्ट्रिक केबल्स के लिए विशिष्टता भाग-1 1100 वोल्ट तक के वर्किंग वोल्टेज
		आईएस 1554 (भाग 2): 1988	पीवीसी इंसूलेटेड (हैवी ड्यूटी) इलेक्ट्रिक केबल्स के लिए विशिष्टता भाग-2 3.3 केवी से 11 केवी तक के वर्किंग वोल्टेज के लिए
2.	क्रॉस-लिंक्ड पॉलीइथिलीन इंसुलेटेड शीध्ड केबल	आईएस 7098 (भाग 1): 1988	क्रॉसलिंक्ड पॉलीइथिलीन इंसूलेटेड पीवीसी शीध्ड केबल के लिए विशिष्टता भाग-1 1100 वोल्ट तक के वर्किंग वोल्टेज के लिए
		आईएस 7098 (भाग 2): 2011	क्रॉसलिंक्ड पॉलीइथिलीन इंसूलेटेड थर्माप्लास्टिक शीध्ड केबल - विशिष्टता भाग-2 3.3 केवी से33 केवी तक के वर्किंग वोल्टेज के लिए
		आईएस 7098 (भाग 3): 1993	क्रॉस-लिंक्ड पॉलीइथिलीन इंसुलेटेड थर्मोप्लास्टिक्स शीध्ड केबल भाग-3 66 केवी से220 केवी तक के वर्किंग वोल्टेज के लिए
3.	एरियल बंच्ड केबल	आईएस 14255: 1995	एरियल बंच्ड केबल-1100 वोल्ट तक के वर्किंग वोल्टेज के लिए- विशिष्टता
4.	इलास्टोमर इंसुलेटेड केबल	आईएस 9968 (भाग 2): 2002	इलास्टोमर इंसुलेटेड केबल के लिए विशिष्टता भाग-2 3.3 केवी से33 केवी तक के वर्किंग वोल्टेज के लिए
5.	थर्मोकपल कम्पेन्सेटिंग केबल	आईएस 8784: 1987	थर्मोकपल कम्पेन्सेटिंग केबल के लिए विशिष्टता
6.	वेल्डिंग केबल	आईएस 9857: 1990	वेल्डिंग केबल - विशिष्टता
7.	खानों में उपयोग के लिए इलास्टोमर इंसूलेटेड फ्लेक्सिबल केबल	आईएस 14494: 2019	खानों में उपयोग के लिए इलास्टोमर इंसूलेटेड फ्लेक्सिबल केबल्स - विशिष्टता
8.	माइनर्स कैप लैंप के लिए फ्लेक्सिबल केबल	आईएस 2593: 1984	माइनर्स कैप-लैंप के लिए फ्लेक्सिबल केबलों के लिए विशिष्टता
9.	शॉट फायरिंग केबल	आईएस 5950: 1984	शॉट फायरिंग केबलों के लिए विशिष्टता (शाफ्ट के अलावा अन्य उपयोग के लिए)
10.	हेलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट) एचएफएफआर) केबल	आईएस 17048: 2018	हेलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट (एचएफएफआर) केबल 1100 बोल्ट तक के वर्किंग बोल्टेज के लिए - विशिष्टता

नोट: इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए संशोधनों सिहत भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण, ऐसी अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।

[फा.सं. पी-29014/90/2017-एलईआई] मनमीत के नंदा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 21st January, 2020

- **S.O. 280(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary in the public interest, hereby makes the following Order, namely:—
- **1. Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Cables (Quality Control) Order, 2020.
 - (2) It shall come into force with effect from 01.08.2020.
- **2.** Compulsory use of Standard Mark.—Goods or articles specified in column (2) of the below mentioned Table shall conform to the corresponding Indian Standard as specified in column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles meant for export.

3. Certification and enforcement authority.—The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (2) of the Table.

TABLE

Sl. No.	Goods and articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Heavy Duty Electric Cables	IS 1554 (Part 1): 1988	Specification for PVC Insulated (Heavy Duty) Electric Cables Part 1 For Working Voltages up to and Including 1100 V
		IS 1554 (Part 2) : 1988	Specification for PVC Insulated (Heavy Duty) Electric Cables Part 2 For Working Voltages from 3.3 kV up to and Including 11 kV
2.	Cross-linked Polyethylene Insulated Sheathed Cables	IS 7098 (Part 1) : 1988	Specification for Crosslinked Polyethylene Insulated PVC Sheathed Cables Part 1 for working voltages up to and including 1100 V
		IS 7098 (Part 2) : 2011	Crosslinked polyethylene insulated Thermoplastics sheathed cables - Specification Part 2 for working voltages from 3.3 kV up to and including 33 kV
		IS 7098 (Part 3): 1993	Cross-Linked Polyethylene Insulated Thermoplastics Sheathed Cables Part 3 For Working Voltages from 66 kV Up to and Including 220 kV
3.	Aerial Bunched Cables	IS 14255 : 1995	Aerial Bunched Cables - For Working Voltages Up to and Including 1100 Volts – Specification
4.	Elastomer Insulated Cables	IS 9968 (Part 2) : 2002	Specification for Elastomer Insulated Cables Part 2 For Working Voltages form 3.3 kV Up to and Including 33 kV
5.	Thermocouple Compensating Cables	IS 8784 : 1987	Specification for Thermocouple Compensating Cables
6.	Welding Cables	IS 9857 : 1990	Welding Cables – Specification
7.	Elastomer Insulated Flexible Cables for use in mines	IS 14494 : 2019	Elastomer Insulated Flexible Cables for Use in Mines – Specification
8.	Flexible Cables for Miner's Cap Lamps	IS 2593 : 1984	Specification for Flexible Cables for Miner's Cap-Lamps

9.	Shot Firing Cables	IS 5950 : 1984	Specification for Shot Firing Cables (for use other than in shafts)
10.	Retardant (HFFR)		Halogen Free Flame Retardant (HFFR) Cables for Working Voltages Up to and Including 1100 V –
	Cables		Specification

Note: For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F.No. P-29014/90/2017-LEI]

MANMEET K. NANDA, J. Secy.